



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

26 माघ, 1943 (श०)

संख्या - 56 राँची, मंगलवार,

15 फरवरी, 2022 (ई०)

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

अधिसूचना

14 फरवरी, 2022

अधिसूचना सं० -पर्य./यो. - 40/2017 - 02-- झारखण्ड राज्य पर्यटक स्थल/प्रक्षेत्र घोषित करने की नियमावली (विभागीय अधिसूचना संख्या - 05, दिनांक 27.04.2016 द्वारा अधिसूचित) तथा विभागीय संकल्प संख्या - 1494, दिनांक 28.08.2015 (वर्गीकरण नियमावली) अन्तर्गत किए गए प्रावधान अनुसार राज्य पर्यटन संवर्धन समिति के दिनांक - 28.01.2022 एवं 29.11.2021 को संपन्न बैठक में किए गए अनुशंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या - 01, दिनांक 22.02.2019 सह पठित ज्ञापांक 338, दिनांक 22.02.2019, अधिसूचना संख्या - 05, दिनांक 12.03.2021 सह पठित ज्ञापांक 558, दिनांक 12.03.2021 एवं अधिसूचना संख्या - 11, दिनांक 27.10.2021 सह पठित ज्ञापांक 1570, दिनांक 27.10.2021 द्वारा अधिसूचित पर्यटक स्थलों के अतिरिक्त पर्यटन महत्व के निम्न स्थलों को उनके शीर्ष पर अंकित श्रेणी का पर्यटक स्थल/प्रक्षेत्र घोषित किया जाता है -

क्र.	जिला का नाम	पर्यटक स्थल का नाम			
		A (अंतर्राष्ट्रीय महत्व का)	B (राष्ट्रीय महत्व का)	C (राज्य स्तरीय महत्व का)	D (स्थानीय महत्व का)
1-	सिमडेगा	-	-	-	कोबांग डैम, पाकरटाँड़
		-	-	-	बसतपुर पिकनिक स्थल, पाकरटाँड़
		-	-	-	कैरबेड़ा डैम, पाकरटाँड़
		-	-	-	राजाडेरा जलप्रपात, पाकरटाँड़
		-	-	-	कैलाशधाम, पाकरटाँड़
		-	-	-	संगम स्थल (पालामाड़ा एवं शंख का संगम), पाकरटाँड़
		-	-	-	बुढ़ा महादेव मंदिर व डैम, कोलेबिरा
		-	-	-	लस्वा डैम
		-	-	-	शिवमंदिर करंगागुड़ी, केरसई
		-	-	-	दुर्गा पहाड़ी मंदिर, बानो
		-	-	-	हनुमान पहाड़ी मंदिर, बानो
2-	सरायकेला- खरसावाँ	-	शहीद पार्क, खरसावाँ	-	-

II. इस पर मा. विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राजू रंजन राय,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
